प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक

2- समस्त जिलाधिकारी

पंचायतीराज,

30प्र0।

उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-1

गखनऊः दिनांकः 29 ज्

विषयः- मा0 उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या-9967/2020 सुशील बनाम उ०प्र0

राज्य व अन्य के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रदेश में 1,01,688 सफाई कर्मी जनपदों के विभिन्न राजस्व ग्रामों में तैनात है। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित जनिहत याचिका संख्या-9967/2020 सुशील बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-07-2020 के अनुक्रम में प्रदेश के प्रत्येक राजस्व ग्राम में तैनात/कार्यरत सफाई कर्मी के संबंध में निम्नान्सार कार्यवाही की जायेगी।

- (1) निदेशक, पंचायतीराज सूचना प्रोदयोगिकी के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की उनके राजस्व ग्रामों में तैनाती एवं उपस्थित के अनुश्रवण के लिए व्यवस्था बनाये, जिसमें प्रत्येक माह के अंत में उनके द्वारा माह में किये गये कार्य की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाय।
- (2) समस्त जिलों में तैनात सफाई कर्मियों का नाम एवं उनके तैनाती का स्थान पंचायतीराज विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे तथा इसे अद्यावधिक रखने की व्यवस्था बनायेगे। निदेशक, पंचायतीराज 30प्र0 इसका माह के अंत में अनुश्रवण कर रिपोर्ट देगे। इससे यह सूचना Public Domain में रहे तथा पारदर्शिता बनी रहे है।
- (3) सफाई कर्मचारी द्वारा अपने तैनाती के ग्राम में स्वच्छता व सेनीटाईजेशन का कार्य करे, यह स्निश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी की होगी।
- 2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हु आ है कि कृपया उक्त आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषितः-

- समस्त म्ख्य विकास अधिकारी, 30प्र0। 1-
- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ०प्र0। 2-
- 3-समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, 30प्र0 ।
- गार्ड फाडल। 4-

Hitle: 118 has an adesh. 119 ft

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।